न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर कामां (भरतपुर)

बइजलास श्री रामकिशोर मीणा R.A.S.

मुकदमा नं0. 85 / 18

1–मोहनसिंह

2– जगदीश

3– भगवानसिह पुत्रान दुर्गाप्रसाद जातियान अहीर निवासी दीवान मौहल्ल कामां तहसील कामां – प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कामा –

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR..Act

निर्णय

दिनांक 19.06.2019

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत आ0ख0नं0 4261 / 0.44 हैक्ट0 वाके कस्बा कामां नं0 2 सायलान एंव बालकिशन, विष्णु, सपना, राधा, गगाचरण, शेरसिंह, गजराज, राजवीर, भूरा, केशर, कस्तूरी, व अगूरी के हिस्से में आया था । उस समय बदोवस्त का काम पूर्ण नहीं हुआ था और पूर्व के बदोबस्त के अनुसार खसरा नम्बर 4261 / 0.44 हैक्ट0 की उतरी मेड 38 गठ्ठा दक्षिणी मेड 32 गट्टा पूर्व की मेड 28 गट्ठा एवं पश्चिमी की मेड 34 गटठा दर्ज रिकार्ड थी परन्तु नये बदोबस्त में खसरा नं0 4261 को अब खसरा नम्बर 2630 कर दिया गया और खसरा नम्बर 4261 को अब खसरा नम्बर 2630 कर दिया गया और खसरा नम्बर 2630 का जो नक्शा ट्रेस बनाया गया है उसमें उत्तर दिशा में 46 गटटा दक्षिण दिशा में 43 गठठा पूर्व दिशा 22 गट्टा एवं पश्चिम दिशा में 27 गठटा का नक्शा बनाया गया है जबकि भू प्रबन्ध वालों को पूर्व के गट्ठों के हिसाब से नक्शा बनाना चाहिये । खसरा नम्बर 4261 जो अब खसरा नम्बर 2630 हो गया है कि रकवा 0.44 है0पर उत्तर दिशा में 38 गठठा, दक्षिण दिशा में 32 गठठा पूर्व में 28 गठठा पश्चिम दिशा में 34 गट्टा पर ही कब्जा है जब कि भू प्रबन्ध अधिकारियों ने कब्जा केअनुसार एवं पूर्व नक्शे के अनुसार नये नक्शे नहीं बनाया गया है । भू प्रबन्ध अधिकारियों ने पश्चिम मेड को 34 गठठे की बजय 27गठठा पूर्व की मेड को 28 गठठा की बजाय 22 गठठा कर दिया है । जो मौके के खिलाफ है एवं नियमों के विरूद्ध है भू प्रबन्ध अधिकारियों ने खसरा नम्बर 4261 के उतर एवं दक्षिणी मेड को बढा दिया है । यानि की उत्तरी एवं दक्षिणी मेड को बढा दिया है । पूर्व के खसरा नम्बर 4261 के उत्तर में खसरा नम्बर 4262 है और खसरा नम्बर 4262 के खातेदारों को फायदा पहुचाने के लिए नक्शा में तरमीम किया गया है । सायलान में से सायल नं01 के पुत्र नीरज कुमार ने प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपेार्ट दी है और उस रिपोर्ट में पूर्व के नक्शे में तरमीम की रिपोर्ट की है । सबूत में जमाबन्दी व

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

खसरा की नकल सलग्न की है। अतः खसरा नम्बर 4261 /0.44 हैक्ट0 के पूर्व के नक्शे के अनुसार नये खसरा नम्बर 2630 के नक्शे को दुरूस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार कामां के पत्रांक/रीडर/19/199 दिनांक 18.02.2019 के द्वारा जबाव पेश किया कि साबिक खसरा नम्बर 4261 की उत्तरी मेड 38 गठठा दक्षिण मेड 32 गठठा तथा पूर्वी मेड 28 गठठा तथा पश्चिमी मेड 34 गठठा जिसका रकवा 0.44 बनता है। यह मेड 28 गठठा तथा पश्चिमी मेड 34 गठठा जिसका रकवा 0.44 बनता है। नवीन खसरा नम्बर 2630 की उत्तरी मेंड 46 गठठा दक्षिणी मेंड 43 गठठा पूर्वी मेड 22 गठठा तथा पश्चिमी मेंड 27 गठठा है जिसका कुल रकवा 0.44 हैक्ट0 बनता है उत्तरी मेड दक्षिणी मेंड नवीन खसरा के मुकाबले उक्तानुसार बढा दी गई है जबकि पूर्वी व पश्चिमी मेड घटा दी गई है। खातेदार काश्तकार पूर्वानुसार काबिज काश्त है। नवीन खसरे के अनुसार नम्बर 4261/0.44 साबिक (हाल 2630/0.44)की शुद्धि किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर 0एक्ट के तहत सुनी गयी। सायल अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यों को दोहराया मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजनुसार एव तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का मनन किया। नवीन खसरे के अनुसार नम्बर 4261/0.44 साबिक (हाल 2630/0.44)की शुद्धि किया जाना उचित है।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर 0 एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा नवीन खसरे के अनुसार नम्बर 4261/0.44 साबिक (हाल 2630/0.44)की शुद्धि किया जाता है। तहसीलदार कामां को लिखा जावे कि राजस्व रिकार्ड का शुद्ध किया जाकर अमल किया जावे।। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां